

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(06)एमई/ग्रुप-1/21

जयपुर, दिनांक 12 APR 2021

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार पेलियेटिव मेडिसिन में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी के तहत पदोन्नति वर्ष
1	डॉ. अश्विन माथुर	सामान्य	03.11.1971	01.04.2017 (आचार्य)	2017-18

सह आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी के तहत पदोन्नति वर्ष
1	डॉ. योगेन्द्र सिंघल	सामान्य	23.01.1979	01.04.2019	2019-20
2	डॉ. गौरव शर्मा	सामान्य	05.07.1977	01.04.2019	2019-20

आज्ञा से,

12/4/2021
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
4. एसीपी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिव शंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव